विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-08/19

श्री राजीव जैन, — आवेदक
द्वारा – राधाकिशन वीरभान,
हनुमान नगर, जरी पटका नं. 1,
फालका बाजार, लश्कर,
ग्वालियर (म0प्र0)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक,
(शहर संभाग, केन्द्रीय) — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 15.01.2020 को पारित)

01. आवेदक श्री राजीव जैन, ने अपने लिखित अभ्यावेदन द्वारा – राधाकिशन वीरभान, हनुमान नगर, जरी पटका नं. 1, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निरंक से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक जी0टी0 05/2019 में दिनांक 19.06.2019 को पारित आदेश श्री राजीव जैन द्वारा राधाकिशन वीरभान, लश्कर, ग्वालियर (म0प्र0) के विरूद्ध उप महाप्रबंधक (शहर संभाग, केन्द्रीय) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., ग्वालियर (म0प्र0) में दिनांक 19.06.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 30.07.2019 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–08/2019 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक ने अपनी अपीलीय आवेदन पत्र के साथ फोरम को दिए गए आवेदन एवं फोरम के आदेश की प्रतियां, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 14.06.2019 को

दिए गए दस्तावेज (सहपत्र) की प्रतियां, 50 प्रतिशत बिल जमा राशि की पावती की प्रति तथा विस्तृत जानकारी सहित लिखित आवेदन पत्र संलग्न किया है। लिखित आवेदन की छायाप्रति संलग्न की हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुती अपीलीय अभ्यावेदन के अनुसार अभ्यावेदन की विषय–वस्तु निम्नानुसार दर्शित है :– ''मार्च 2019 को बिल चुकता करने के बाद अप्रैल बिल की राशि 10,250/– और उस पर आज दिनांक तक सरचार्ज समाप्त किए जाने बाबत्।''

03. अपने आवेदन पत्र में आवेदक ने रू0 10.250/– की राशि और प्रभार तक की सरचार्ज राशि को समाप्त करने बाबत् राहत की मांग की है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत अपीलीय अभ्यावेदन तथा आवेदक के साथ प्रस्तुत प्रकरण के लिखित विवरण निम्नानुसार है :–

आवेदक का ग्वालियर में हनुमान नगर फालका बाजार स्थित घर पर कई वर्षों से घरेलू विद्युत कनेक्शन है जिसका उपभोक्ता क्र0 687995200 तथा IVRS क्र0 1280053 है, जिसके बिल का भुगतान विगत कई वर्षों से बिल राशि से किया जा रहा है। मार्च माह 2019 की बिल राशि 1210/– रू0 का भुगतान ऑनलाईन पैमेण्ट द्वारा चुकता किया गया था। अप्रैल माह के बिल में 634/– रू0 यूनिट खपत के अलावा 10,250/– रू0 पिछला बकाया बताकर बिल भेजा गया जो कि गलत एवं अनुचित है, इस संबंध में –

1. उपमहाप्रबंधक महोदय सेन्ट्रल ग्वालियर को लिखित शिकायती आवेदन पावती क्र0 748 दिनांक 27.03.2019 को दिया गया उस आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया (पावती संलग्न है)।

2. इसके बाद महाप्रबंधक महोदय शहर ग्वालियर को दि0 09.04.2019 को लिखित आवेदन किया गया उस आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया (जिसकी पावती संलग्न है)।

3. इसके बाद विद्युत उपभोक्ता फोरम में दिनांक 16.04.2109 को आवेदन किया गया जिस पर 9 मई 2019 को सुनवाई के समय अनावेदक पक्ष द्वारा अगली सुनवाई के लिए समय मांगकर सुनवाई की तारीख 14.06.2019 तक की गई।

4. श्रीमान् सहायक यंत्री सेन्ट्रल सिटी ग्वालियर को पावती क्र0 863 दिनांक 07.05.2019 को आवेदन देकर वसूली राशि की जानकारी मांगी गई जिससे अपने प्रकरण को समझकर फोरम के समक्ष अपनी बात रख सकूं। लेकिन 14 जून 2019 को फोरम की सुनवाई चल रही थी उसी समय अनावेदक द्वारा दस्तावेज दिए गए, उसी समय मेरे कथन लिए गए आवेदक को दस्तावेजों को समझने का मौका नहीं दिया गया। अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाया और न ही फोरम के द्वारा दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप आवेदक के आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

5. वसूली का आधार पी.बी. सिंह एण्ड एसोसियेट्स आडीटर द्वारा वर्ष 013–14 यानी (अप्रैल 2013 से मार्च 2014) तक के दस्तावेजों का आडिट किया जिसमें जुलाई 2013 अगस्त 2013 सितम्बर 2013 की औसत खपत 328 यूनिट के हिसाब से पूरे साल की वसूली का आदेश दिया गया जबकि आपके द्वारा दी गई सर्विस बुक रिकार्ड की प्रति में उस समय की खपत 164 यूनिट दर्ज है, क्योंकि इसके 6 माह पूर्व (अक्टूबर 12) से 6 माह बाद (सितम्बर 14) पूरे 24 माह तक मीटर बंद रहा फिर यह 328 यूनिट की खपत बतानी काल्पनिक एवं मनगढंत प्रतीत होती है कि यह 328 यूनिट की खपत का डेटा कहा से लिया गया, जबकि आपके रिकार्ड के अनुसार बंद मीटर रहा था, जिसको आधार मानकार की जा रही वसूली 10,250/– रू0 की राशि अनुचित एवं गलत है।

6. करीब 60 माह से 72 माह पूर्व की वसूली की राशि अप्रैल बिल में जोड़ी गई है जो कि गलत एवं अनुचित है, क्योंकि ''लिमिटेशन एक्ट 1963 आर्टीकल 15 के अनुसार'' किसी भी देयक की राशि 3 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर नहीं की जा सकती।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक से वसूली राशि 10,250/– रू0 एवं उस पर आज तक का सरचार्ज (निर्णय दिनांक) तक समाप्त किया जाने की कृपा करें, इस संबंध में आवेदक को होने वाली परेशानी और भोपाल आने–जाने एवं खर्चे की राशि पी.बी. सिंह एण्ड एसोसियेट आडीटर से वसूल कर आवेदक के हित (पक्ष) में दिलाए जाए।

04. प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 20.08.2019 को आयोजित की गई जिसमें आवेदक स्वयं उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक अधिवक्ताद्वय श्री अजय सिंह राजपूत एवं सुश्री संगीता वर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता किसी कार्यवश आज की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके हैं और चूंकि प्रकरण के संबंध में हमें सम्पूर्ण जानकारी नहीं हैं, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय दिया जाए। इस निवेदन को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई दिनांक 05.09.2019 नियत की गई।

सुनवाई दिनांक 05.09.2019 आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक अधिवक्ता श्री विवेक बहुत्रा उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर प्राथमिक आपत्ति के साथ कण्डिकावार लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। अनावेदक अधिवक्ता ने सूचित किया कि प्रकरण में अनावेदक कम्पनी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना है, किन्तु अपरिहार्य कारणों से सुनवाई में उनकी अनुपस्थित के कारण प्रकरण में सुनवाई आगे बढ़ाकर सितम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में नियत किए जाने का आवेदन है तद्नुसार अगली सुनवाई दिनांक 27.09.2019 को नियत की गई। सुनवाई दिनांक 27.09.2019 की सुनवाई में आवेदक स्वयं उपस्थित किन्तु अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में पुनः सुनवाई बढ़ाई जाकर विभिन्न दिनांक यथा – 15.10.2019, 23.10.2019 एवं 13.11.2019 को नियत की गई किन्तु इन सभी सुनवाईयों में अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया किन्तु अनावेदक प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण की सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

05. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अपीलीय अभ्यावेदन तथा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षैत्र से आवेदक की मूल शिकायत प्रकरण क्रमांक जी0टी0 05/2019 में दिनांक 19.06.2019 को पारित आदेश नस्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नाधीन विद्युत कनैक्शन श्री राधाकिशन वीरभान के नाम पर है जबकि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षैत्र के समक्ष श्री राजीव जैन ने शिकायत प्रस्तुत की थी एवं राजीव जैन के अनुसार जिसमें प्रश्नाधीन विद्युत कनैक्शन स्थापित है उनके भाई श्री राधाकिशन वीरभान द्वारा श्री वीरेन्द्र जैन से क्रय किया गया था और वर्तमान में वे उक्त भवन के स्वामी है तथा राजीव जैन इस मकान में निवास करते हैं तथा फोरम संबंधी कार्यवाही के लिए श्री वीरेन्द्र जैन ने उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त किया था। फोरम में प्रस्तुत शिकायत पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभ्यावेदन पर उपभोक्ता की ओर से स्वयं राजीव जैन ने स्वयं उपभोक्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर स्वयं आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जबकि उन्हें श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा केवल अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ऐसे में शिकायत पत्र प्रस्तुत करने के लिए श्री राजीव जैन विधिक

रूप से सक्षम नहीं थे। फोरम के आदेश दिनांक 19.06.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में भी श्री राजीव जैन ने स्वयं उपभोक्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर अपीलीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। चूंकि श्री राजीव जैन स्वयं उपभोक्ता नहीं है, अतः माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका 2.4 (डी) के अनुसार उन्हें शिकायतकर्ता नहीं माना जा सकता और उनके द्वारा प्रस्तुत अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष वैधानिक रूप से प्रचलन योग्य नहीं पाई जाती है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

06. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करते हुए प्रकरण निराकृत किया जाता है। उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को पृथक से प्रेषित की जाए।

विद्युत लोकपाल